झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

–:: अधिसूचना ::–

रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

संख्या-7/वि०वि०सं०-03-97/2005 का०.....3890...../ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) यह सम्पूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी होगा ।

2. परिभाषाएँ – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस रूपए का आवेदन फीस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी ।

4. धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :-

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक *(ए-4 या ए-3 आकार)* कागज के लिए दो रूपए;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रूपए की फीस ।

5. धारा 7 की उप धारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :-

(क) डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रूपए; और

(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रूपए ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(मुखत्यार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि०वि०सं०-03-97/2005 का०...3890.../रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- झारखंड सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि०वि०सं०-03-97/2005 का०...3890.../रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी निगम/निकाय/उपक्रम/गैर सरकारी संस्थाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

–:: अधिसूचना ::–

रांची, दिनांक–14 नवम्बर, 2005

संख्या–7/वि०वि०सं०–03–97/2005 का०....3889..../सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड सूचना का अधिकार (अपील की विधि) नियम, 2005 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) यह सम्पूर्ण झारखंड राज्य में प्रभावी होगा ।

2. **परिभाषाएँ –**

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से झारखंड सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **अपील दायर करने की प्रक्रिया :–**

अपील दायर करते समय अपीलकर्त्ता द्वारा आयोग को निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध करानी होगी :–

(क) अपीलकर्त्ता का नाम और पता;

(ख) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम और पता;

(ग) लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा पारित जिस आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया जा रहा हो की संख्या एवं तिथि सहित विवरणी;

(घ) अपील हेतु संक्षिप्त तथ्य;

(ड) प्रार्थना या दावा किया गया अनुतोष;

(च) प्रार्थना या अनुतोष का आधार;

(छ) अधिनियम अथवा नियम के प्रावधान;

(ज) अपीलकर्त्ता द्वारा सत्यापन; और

(झ) अन्य कोई सूचनाएँ जो आयोग के अपील निर्धारण हेतु आवश्यक हों ।

4. **अपील के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात :-**

आयोग के समक्ष दायर किये जाने वाले प्रत्येक अपील हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात प्रस्तुत करना होगा :-

(क) उस आदेश की अभिप्रमाणित सच्ची प्रति जिसके विरुद्ध अपील किया जा रहा हो;

(ख) उन कागजातों की प्रति जिनके उल्लेख के आधार पर अपीलकर्त्ता द्वारा अपील दायर किया जा रहा है; और

(ग) उन कागजातों की अनुक्रमणिका, जो अपील में उल्लिखित हो ।

5. **अपील निष्पादन की विधि :-**

अपील के निष्पादन में आयोग द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

(क) संबंधित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर मौखिक सुनवाई अथवा प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से लिखित साक्ष्य प्राप्त करेगा ।

(ख) इससे संबंधित कागजातों, लोक अभिलेखों अथवा इनके प्रतियों का अवलोकन अथवा निरीक्षण करेगा ।

(ग) प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से विवरणियों अथवा तथ्यों की जांच करायेगा ।

(घ) लोक सूचना पदाधिकारी, सहायक लोक सूचना पदाधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकार की यथास्थिति सुनवाई करेगा ।

(ङ) तीसरे पक्ष की सुनवाई करेगा, तथा

(च) लोक सूचना पदाधिकारी, सहायक लोक सूचना पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार अथवा तीसरे पक्ष से यथास्थिति प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करेगा ।

6. **आयोग द्वारा नोटिस तामिला की प्रक्रिया :-**

आयोग द्वारा निर्गत नोटिस को निम्नांकित माध्यमों से तामिला कराया जा सकता है :-

(क) पक्षकार द्वारा अपने स्तर से तामिला कराना

(ख) प्रोसेस पिउन के माध्यम से (दस्ती) हाथो-हाथ तामिला कराना

(ग) पावती के साथ निबंधित डाक द्वारा, अथवा

(घ) कार्यालय प्रधान अथवा विभाग के माध्यम से ।

7. **आदेश पर हस्ताक्षर :-**

आयोग द्वारा खुले कार्यवाही में दिया गया आदेश लिखित होगा तथा यह आयोग द्वारा इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(मुख्तयार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि०वि०सं०-03-97/2005 का०.....3889...../रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- झारखंड सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-7/वि०वि०सं०-03-97/2005 का०.....3889...../रांची, दिनांक-14 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि- सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी निगम/ निकाय/ उपक्रम/ गैर सरकारी संस्थाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।